

15/5/2017.

पनावली न्याय आपके दर कैम काडपुरा प्रस्तुत हुई। उतानुवातिक प्रकरण का विस्तारत दौरान कैम अलग से प्रार्थन पर किया जाकर किया जा चुका है जिसके अख इस प्रार्थन पर में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थन पर धारा 136 रा. ले० रूबरुकर इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर है। पनावली विधि सुमार समझी जाकर नखर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 15/05/2017 को लिखा जाकर कैम लाडपुरा पर सुमयक गम।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बामडलगाड़